कोविड–19 काल में प्रवासी मुसहर मजदूरों की सामाजिक–आर्थिक समस्या

Braj Mohan

Assistant Professor, Sociology, Government College, Basai Nawab, Dholpur

सारांश

मुसहर मतलब मूस+हर, जो चूहा से अपना आहार प्राप्त करता है उसे मुसहर कहते हैं, इस तरह की मान्यता है, कि ये जाति प्रकृति के काफी करीब है, तथा आज भी आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर हैं। इस जाति के लोगों का जीवन–यापन दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर हीं टिका हुआ हैं। परंतु कोरोना काल में काम नहीं मिलने तथा दूसरे राज्यों से वापस आने के कारण इन्हें अनेक तरह के सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की, जिसे 19 फरवरी 2020 से एक महामारी कोविड–19 के रुप में भी जाना जाता है। यह एक श्वसन रोग है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को संपूर्ण रुप से प्रभावित करता है। कोविड–19 का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन में आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च, 2020 में नोवेल कोरोना वायरस को एक महामारी के रुप में घोषित किया है। जिसका अर्थ है कि नया वायरस दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के लक्षणों में शामिल है, बुखार और खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई। भारत सहित अधिकांश देशों की सरकारों ने इसके प्रसार को कम करने के लिये पहले से हीं लॉकडाउन, सामाजिक दूरियाँ, स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक समारोहों आदि को बंद करने जैसे कई उपाय किये हैं, भारत एक विकासशील देश है, और यहाँ के अधिकांश लोगों की मानक आय बहुत हीं कम हैं, इसलिए भारत में लॉकडाउन से गरीब, मजदूर एवं मध्यम आयवर्ग के लोग प्रभावित हुये हैं। इन्हीं मजदूर वर्गों में से एक मुसहर जाति है, जो अपनी बेहतर जिंदगी एवं रोजगार के तलाश में अपने घर से दूर, दूसरे राज्यों में गये थे। लेकिन इस महामारी के चपेट के कारण, उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा तथा वापस अपने गाँव एवं मिट्टी की ओर वापस लौटना पड़ा। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने गाँव की ओर वापस आ गये कि शायद अपने आस– पास के लोग उनकी सहायता करेगें तथा उनके परिवार को भूखे नहीं रहने देगें ।

मूलशब्द: लॉकडाउन, प्रवासी, मजदूर, मुसहर, सोशल डिस्टेन्सिंग।

प्रस्तावना

बिहार में मुसहर जाति को महदलित की श्रेणी में रखा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण बिहार में मुसहर की कुल आबादी 27,25,114 है, जो कुल दलित जातियों का 17.20 प्रतिशत है। ज्यादातर मुसहर जाति के लोग दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। कुछ मुसहर अपने राज्यों में, तो कुछ दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। बिहार राज्य से कितने मुसहर जाति के लोग प्रवासी मजदूर के रुप में कार्य करते हैं, इसका आँकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अध्ययनकर्ता ने यह देखा है कि 1990 के बाद से इस जाति का पलायन अन्य राज्यों की ओर भारी मात्रा में हुआ है। जिसका असर स्थानीय कार्यों में देखने को मिला है। इस जाति पर इस महामारी का असर सबसे अधिक पड़ा है, क्योंकि दलित जातियों में इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

महामारी किसी भी देश के लिये एक बहुत बड़ी आपदा होती है, भारत सहित संपूर्ण विश्व में प्राचीन काल से लेकर वर्त्तमान काल तक महामारी किसी ना किसी आपदा के रुप में आती रही है, जिसके कारण लोगों की सामूहिक मृत्यु होती रही है, इन महामारियों के कारण किसी भी देश के शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के कारण हुआ है। कोरोना नामक विषाणु पहली बार चीन के वुहान नामक शहर में नवंबर 2019 में पाया गया था। किंतु देखते–देखते यह संपूर्ण विश्व में निरंतर फैलता हीं चला गया है। जिस कारण से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसे "वैश्विक महामारी" के रुप में घोषित किया है।

इस महामारी से बचने के लिये 16 जनवरी 2021 से टीका अभियान चलाया गया है। शुरुआती दौर में टीका स्वास्थ्यकर्मी एवं फ्रंट लाईन वर्कर को दिया गया। इसके बाद के खेप में उस व्यक्ति को दिया गया जिसकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक होगी, और अब सरकार ने 01 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका अभियान शुरु किया है। टीकाकरण के बावजूद इस बीमारी से बचने के लिये सोशल डिस्टेशिंग, फेस मास्क तथा बार–बार हाथ को धोना एवं सेनिटाईजर इत्यादि का प्रयोग करना जरुरी है। क्योंकि, ऐसा देखा गया है, कि टीका के दोनों खुराक लगाने के बावजूद लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। इस महामारी के कारण सभी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि पर ताले लटकने लगे, जिसके कारण लाखों लोगों के दिनचर्या प्रभावित हुयी एवं उनके सामने रोजी–रोटी की समस्या पैदा हो गयी। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग एवं मध्यमवर्ग हुये। जो मजदूर अपने जीवनदशा को सुधारने के लिये शहर की ओर गये थे, वही शहर इस जरुरत के समय में उन्हें भगा दिया, तथा वापस उन्हें उसी जगह पर आना पड़ा जहाँ से वे बेहतर जीवन की तलाश में निकले थे। वापस आने के बाद उनके सामने कई तरह के सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

बिहार में कोविड–19 के मरीज और प्रवासी मुसहर मजदूरों का संबंध बिहार में कोविड –19 के मरीज दिन –प्रतिदिन बढ़ रही है, इसके संदर्भ में जानकारों का यह कहना है कि श्रमिक जो अन्य राज्यों में काम करने के लिये गये थे, लॉकडाउन के कारण काम न होने से वे वापस बिहार की ओर रुख करने लगे तथा आते समय अपने साथ कोरोना भी लाये। जिसके कारण और भी लोग संक्रमित हो गये। बिहार के कितने मजदूर दूसरे राज्यों में कार्य करते हैं, इसका कोई वास्तविक आंकड़ा सरकार के पास नहीं हैं, परंतु एक अध्ययन के अनुसार लगभग 37 लाख मजदूर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और असम इत्यादि अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। जब कोरोना वायरस को लेकर देशभर में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुयी तो, मध्यमवर्ग एवं उच्चवर्ग के लोग घरों में खुद को व्यस्त रहने के टिप्स दे रहे थे तो उसी समय लाखों की संख्या में मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल मापने के लिये गठरी उठाये सड़कों पर चल रहे थे। इनमें से कुछ तो रास्ते में हीं चल बसे, और कुछ लौटे। याद रहे कि ये वही मजदूर हैं, जो शहरों को बसाते हैं, दुनिया को आबाद करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो, उसी दुनिया ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। ऐसे में उन्हें अपनी मिट्टी की याद आयी, जो उन्हें दो जून की रोटी दे सके। वे अपने समान एवं बच्चों को कंधे पर बिठाये लौटने लगे, जिनमें एक बड़ी आबादी बिहारी मुसहर मजदूरों की थी।

बिहार, उत्तरप्रदेश के बाद सबसे सस्ता मजदूर मुहैया कराने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। ये बिहारी मजदूर कई बार दूसरे राज्यों में हिंसा एवं ठगी का शिकार हुये और डरकर बिहार लौटे, लेकिन बिहार सरकार इनके लिये रोजगार मुहैया नहीं करा सकी, नतीजन इन्हें वापस उन्हीं राज्यों की ओर रुख करना पड़ा, जहाँ से ये भागे थे।

मजदूरों का अन्य राज्यों में जाने के कारण

भारत के सबसे अविकसित राज्यों में बिहार का नाम पहले आता है, परंतु आईआईटी एवं आईएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हीं पास करते हैं, यहीं उच्च शिक्षित लोग आगे चलकर अन्य राज्यों में नौकरी करने चले जाते हैं। प्रशासकीय सेवा में बिहार के लोग अधिक मात्रा में होकर भी वो अपने राज्यों के लिए कुछ नहीं कर पाये, यह चिंता का विषय है। प्रशासकीय सेवा में जाने वाले लड़कों को छोड़कर बाकी लड़कों के शिक्षा की स्थिति देखें तो और भी खराब है, इनमें से दलित जातियों के बच्चों की शिक्षा तो शोचनीय है। बिहार में दसवीं की परीक्षा देना हो तो उसे अपने अनुमंडल या जिले में 10 से 15 दिन जाकर रहना होता है। ग्रामीण स्तर पर इस तरह की परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें जिला मुख्यालय या दूसरे जिला में जाना पड़ता है, क्योंकि इनके घरों के आस–पास कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, क्योंकि आर्टिटेक्चर कला इत्यादि विषयों की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर नहीं हैं। अतः दसवीं के बाद इनलोगों को आगे की पढ़ाई के लिये गाँव छोड़ना हीं पड़ता है।

मुसहरों की स्थिति इन सबसे बिल्कुल अलग है, ज्यादातर मुसहर अशिक्षित या बहुत हीं कम पढ़े लिखे हैं, जो केवल अपना नाम तक हीं लिख सकते हैं। इनके पास खेती करने के लिए अपना कोई जमीन नहीं हैं। ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, ये लोग मछली मारने के काम, ईंट के भट्ठे में काम या किसानों के खेतों में जाकर काम करते हैं, परंतु ये काम इनको सालों भर नहीं मिल पाता है, बिहार में हर साल बाढ़ के प्रकोप के कारण यहाँ पर फसलों का नुकसान होता है, जिस कारण से इनकी आर्थिक दशा बहुत हीं खराब रहती है।

बिहार में औद्योगिकरण लगभग नहीं हैं, इसलिए यहाँ के मजदूरों को काम की तलाश में अन्य प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ता है। ये लोग अपनी जीवनदशा को सुधारने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली इत्यादि शहरों की तरफ जाते हैं। यदि देखें तो बिहार के इन मजदूरों के कारण कई राज्यों के उद्योग धंधे चल रहे हैं। जैसे कि पंजाब में फसल काटने का कार्य बिहार के मजदूर हीं करते हैं, जालंधर के ऑटोरिक्शा उद्योग बिहारी मजदूरों के कारण हीं चल रहा है।

बिहार के कितने प्रवासी मुसहर मजदूर

कोविड–19 काल में बिहार सरकार की एक सच्चाई उजागर हुयी है, कि बिहार के कितने मजदूर अन्य राज्यों में हैं, इनका कोई आँकड़ा सरकार के पास नहीं हैं, बिहार के बाहर काम की तलाश में मजदूरों के पलायन का लंबा इतिहास रहा है। अमृता दत्ता1 के अनुसार प्रवजन मुख्यतः सभी जातियों में देखी गई है। परंतु दलित एवं अन्य पिछड़ी जातियों में इनकी संख्या ज्यादा है। सबसे पहले पलायन हम 1830 के आसपास देख सकते हैं। जब लोग ब्रिटिश औपनिवेशक के लिए लिखित कारनामें मजदूर के रुप में फिजी, गुआना, त्रिनिदाद, मॉरीशस जाते थे। लेकिन 1960 से बहुत भारी संख्या में लोग कृषि मजदूर के रूप में पंजाब एवं हरियाणा की और जाने लगे। इसी समय कुछ लोग दूसरे क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए जाने लगे।

प्रिया देशिंगकर के अनुसार ”पलायन से फायदा ये हुआ है कि जिन घरों में समय से चुल्हा नहीं जलता था अब वो ठीक से खा पी रहे हैं। बाहर जाने का मकसद है कमाना और बचत करना। बाहर जाने से पहले की तुलना में खान–पान और रहन सहन में सुधार हुआ है। भूखमरी खत्म हो गई है। अब किसी पर कोई कर्जा नहीं है।“

बिहार के लगभग सभी जिलों से देश के साथ विदेशों में भी लोग नौकरी या मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन पूर्वी बिहार के मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णियाँ इत्यादि जिलों से इन मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या बिहार के बाहर काम के तलाश में जाते हैं, जिसका कोई सरकारी आँकड़ा मौजूद नहीं हैं। बिहार के अंदर काम करने वाले पंजीकृत मजदूरों की संख्या लगभग 19 लाख है। लेकिन इन मजदूरों में से मुसहर मजदूर की संख्या कितनी है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है।

बिहार वापस आये प्रवासी मजदूर

कोविड–19 की वजह से हुये लॉकडाउन के कारण, प्रवासी मजदूर वापस बिहार की ओर आ रहे हैं। लेकिन वापस आने के बाद पुनः इनके सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गयी है। जब लॉकडाउन खुल गयी थी, तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहें थे, कि बिहार लौटकर चले गये मजदूरों को आने दीजिए, क्योंकि इनके बिना दूसरे राज्यों के कारखाने एवं खेती.बारी ठप हो जाएँगे। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि इन दिहाड़ी मजदूरों के बिना किसी भी विकास की परिकल्पना की हीं नहीं जा सकती है। जबकि विडंबना यह है कि बिहार सरकार के पास इसका आँकड़ा हीं उपलब्ध नहीं है कि राज्य के कितने मजदूर बाहर काम कर रहे हैं।

बिहार के कितने मजदूर बाहर काम कर रहें हैं, इसके बारे में बिहार सरकार के श्रम मंत्री का कहना है कि मजदूर बिना किसी सूचना के बाहर के प्रदेशों में काम करने के लिये चले जाते हैं, इसलिये ये बताना मुश्किल है। हाँ, जो मजदूर सूचना देकर काम करने जाते हैं, उनका आँकड़ा तो उपलब्ध है। लेकिन इस विपदा की घड़ी में जितने भी लोगों ने सरकार से संपर्क कर मदद की गुहार लगायी है, उसके आधार पर आँकड़ा तैयार किया जा रहा है, तथा उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाया जा रहा है। बिहार सरकार के श्रम मंत्री के अनुसार बिहार के अंदर पंजीकृत मजदूरों की संख्या 19 लाख है। श्रम मंत्री ने नवभारत टाईम्स से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों के प्रशिक्षण का कार्य करे, जिससे बाहर जाने वाले मजदूरों का सही आँकड़ा सरकार के पास हो तथा मजदूरों के दोहन को रोक सकें तथा विपदा के समय उन्हें उचित सहायता पहुँचाने का कार्य किया जा सके।

बिहार वापस आये प्रवासी मजदूरों पर मनौवज्ञानिक प्रभाव

जो मजदूर वापस अपने घर को लौटे उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। आस–पड़ोस के लोग उन्हें कई प्रकार के ताने मारने लगे। लोग कहने लगे कि अपने घर का काम छोड़कर बाहर गये थे कमाने के लिये, इसके बदले में क्या मिला, विपत्ति के समय अपने घर को हीं वापस आना पड़ा। अब फिर वही दिहाड़ी मजदूरी का काम यहाँ पर

करना पड़ेगा। लोग ये भी नसीहत देने लगे कि अब कभी यहाँ से वापस मत जाना, क्यों कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, वो मालिक किस काम का। बुरे वक्त में तुम फिर हमारे पास हीं आये, जबकि काम के वक्त दूसरे प्रदेशों को चले जाते हो। इस तरह के ताने सुनने से इन मजदूरों में एक मानसिक तनाव पैदा हो गयी कि, अब यहाँ के लोग भी इनके साथ कहीं मनमानी ना करने लगे।

सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की सहायता

लॉकडाउन के कारण बिहारी मजदूर दूसरे राज्यों में फँसे हुये हैं और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगा रहें हैं, तो फिर एक बार सरकार की असंवेदनशीलता जाहिर हुयी है, बिहार सरकार ने फंसे हुये मजदूरों को लाने के बजाय, नियम का हवाला देकर, कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं ला सकते हैं। जबकि गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2020 को अधिसूचना जारी कर फंसे हुये मजदूरों को वापस लाने की स्वीकृति दे दी थी, बशर्ते की सोशल डिस्टेशिंग का पालन हो। बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 30 अप्रैल 2020 को जानकारी दी कि दूसरे राज्यों में फँसे 17 लाख लोगों के बैंक खाते में एक–एक हजार की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। इसका मतलब सरकारी आँकड़े के अनुसार 17 लाख लोग दूसरे राज्यों में फँसे हुये हैं। गृह मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार सड़क मार्ग द्वारा बस से लोगों को ले जाया जा सकता है। अगर सोशल डिस्टेशिंग का पालन करते हुये 17 लाख लोगों को बस से ले जाना हो तो कम से कम 85 हजार बसों की आवश्कयता होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार के पास इतनी बसें हैं? इस सवाल का जवाब खुद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि इतने लोगों को लाने के लिये सरकार के पास प्रर्याप्त बसें नहीं हैं। इसी बीच केन्द्र सरकार ने कामगारों को अपने गृह राज्य में वापस जाने के लिये विशेष ट्रेन चलाया है। लेकिन मजदूरों के लिये सिर्फ लौट जाना हीं समस्या का समाधान नहीं हैं।

समस्या का समाधान

कोरोना आज ना तो कल चली जायेगी या इसके साथ जीने की आदत पड़ जायेगी। परंतु मजदूरों के वापस लौटने पर उद्योग धंधों और व्यवसायों पर जो परिणाम होंगे, उससे निपटना बहुत हीं मुश्किल होगा। यह समस्या अब एक राज्य की नहीं है, मजदूरों के स्थानांतरण को रोकना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मजदूरों को घर बैठे तो रोजगार मिलेगा नहीं। परंतु यदि सभी राज्यों में खेती और उद्योग धंधों को समान रुप से शुरु किया जाए, तो रोजी–रोटी के लिये मजदूरों को इतनी लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वे अपने गाँव के आस–पास के शहरों में या कम–से–कम अपने राज्य में हीं काम कर सकेगें। इसका सकारात्मक परिणाम राज्यों के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों की जीडीपी को अगर देखें तो कृषि की भागीदारी बहुत कम दिखायी देती है, जबकि हम हमेशा से हीं भारत को कृषि प्रधान देश कहते आये हैं। कृषि में हो रहे नुकसान के कारण युवाओं का ध्यान उससे हटता जा रहा है, परंतु गाँवों को पूर्ण समृद्ध बनाने और स्थानीय मजदूरों को अपने राज्यों में हीं रोकने का सबसे उत्तम उपाय यही है। महात्मा गाँधी ग्राम विकास की जो परिकल्पना करते थे, उसे यथार्थ में लाने का समय आ गया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोविड–19 काल में मजदूरों को शारिरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसका भरपाई करना बहुत हीं मुश्किल है, परंतु मजदूरों के इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं, समाज और सरकार दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों मजदूरों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, ये बहुत दुःख की बात है कि राज्य सरकारों के पास मजदूरों का समुचित आँकड़ा मौजूद नहीं है। यदि आँकड़ा हीं मौजूद नहीं है तो मजदूरों को सहायता कैसे पहुँचायी जायेगी। अतः राज्य सरकार को चाहिये कि प्रत्येक वार्ड सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाये कि उसके वार्ड से कौन से सदस्य किस जिले या राज्य में काम की तलाश में गये हैं, उनका एक डाटा तैयार कर अनुमंडल को बतायें, इस प्रकार से अनुमंडल जिला को और जिला राज्य को बतायें। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है । यदि इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाये तो एक महीने के अंदर हीं राज्य से बाहर रहने वाले सभी लोगों का विवरण तैयार हो जायेगा। जिससे भविष्य में इस तरह के आपदा की स्थिति में समुचित मदद पहुँचाया जा सकेगा।

संदर्भ सूची

1. Dutta Amrita. “Glimpses of women’s lives in Rural Bihar: Impact of male migration”, 2011.
2. Deshingkar Priya Kumar, Sushil choubey, Harendra kumar, Dhananjay Kumar. “The Role of Migration and Remittances in promiting Livelihoods in Bihar”, 2006
3. Jean-jacques Rousseau, Emile, Dover Publication, 2013
4. Nature, freedom and pedagogy - A Comparative Analysis of Rousseau and Tagore, Dr. Ayanita Banerjee, Global Journal of Human Social Science, Volume 21, Year 2021, Online ISSN: 2249-460X